पत्रांकः– वन भूमि–88 / 2018....................../प०व०

बिहार सरकार

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुरेन्द्र सिंह, भा०व०से०
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक(केन्द्रीय),
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मेकॉन कॉलोनी,
A-2 श्यामली, राँची–834002

पटना–15, दिनांक..........................

विषय :– श्रीमती अर्चना कुमारी सिंह द्वारा सीवान जिलान्तर्गत छपरा–माँझी–दरौली–गुठनी पथ के किनारे HPCL का रिटेल आउटलेट स्थापित करने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत 0.020558 हे० वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति (**Stage-I**) के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयांकित प्रस्ताव श्रीमती अर्चना कुमारी सिंह, पति–श्री आशुतोष कुमार सिंह, द्वारा–बालेश्वर सिंह, ग्राम+पो०–दरौली, जिला–सीवान द्वारा समर्पित किया गया है जो प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी, (वन संरक्षण) बिहार की अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है।

विषयांकित पथ पर्यावरण, वन एवं जलवायु परवर्तिन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या–190 (ई०) दिनांक–16.02.1994 द्वारा सुरक्षित वन के रूप में अधिसूचित है लेकिन भूमि का स्वामित्व पथ निर्माण विभाग का है। पहुँच पथ के निर्माण के क्रम में 0.020558 हे० वन भूमि के अपयोजन का प्रस्ताव है। प्रस्तावित स्थल पर पातित होने वाले वृक्षों की संख्या–शून्य एवं वानस्पतिक घनत्व 0.3 अंकित किया गया है।

जिला पदाधिकारी, सीवान द्वारा निर्गत **FRA-2006** प्रमाण–पत्र मूल रूप में संलग्न है। अपयोजन प्रस्ताव का टोपो सीट एवं **Geo-Referenced Map in shape file format** अर्थात सी०डी० प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत निम्नांकित शर्त्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :–

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।
2. 0.020558 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्यू (**NPV**) के मद में रू० 6.26 लाख प्रति हे० दर से रू० 12,870/–(बारह हजार आठ सौ सत्तर रूपये) मात्र प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. हरितावरण को बनाये रखने के लिए 50 (पचास) वृक्षों के रोपण एवं 10 (दस) वर्षों तक इसके रख–रखाव के लिये आवश्यक राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार के कार्यालय आदेश संख्या–03, दिनांक–01.11.2017 द्वारा निर्धारित दर के अनुसार

अद्यतन मजदूरी दर पर पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के पक्ष में जमा कराया जायेगा।

4. भारत सरकार के पत्र संख्या–11–29/2004 दिनांक–15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुसार उक्त भूभाग का Commercial उपयोग (भवन बनाकर भी) नहीं किया जायेगा।

5. भारत सरकार के पत्र संख्या–11–29/2004 दिनांक–15.07.2004 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश/निकास छोड़कर शेष भाग में हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा, साथ ही रिटेल आउटलेट की परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण करना होगा एवं भारत सरकार के पत्रांक–5–3/2007 दिनांक–18.03.2010 द्वारा निर्गत दिशा–निदेश के अनुरूप प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रवेश निकास छोड़कर प्रतिष्ठान के पूरे परिसीमा में 1–1.5 मीटर की दूरी पर पौधारोपण कर हरित पट्टी तैयार किया जाना अनिवार्य होगा। हरित पट्टी परिसर की चहारदीवारी से 1.5 मीटर हटकर तैयार की जायेगी साथ ही प्रवेश निकास को छोड़कर रिटेल आउटलेट के आगे के हिस्से में Shrubby या Ornamental पौधों का रोपण किया जायेगा।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/–

(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–88/2018....................../प०व०, पटना–15, दिनांक..

प्रतिलिपि :–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)–सह–नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/श्रीमती अर्चना कुमारी सिंह, पति–श्री आशुतोष कुमार सिंह, द्वारा–बालेश्वर सिंह, ग्राम+पो०–दरौली, जिला–सीवान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव

ज्ञापांक :– वन भूमि–88/2018 1321 (ई)/प०व०, पटना–15, दिनांक 10/12/18

प्रतिलिपि :–आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब–साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट–2 उपलब्ध कराया जाय।

(सुरेन्द्र सिंह)
वन संरक्षक–सह–अपर सचिव